भारत में हो रहे असुरक्षित गर्भपात कम करने के छ: उपाय

चालीस साल के कुछ पहलेसेही भारत में अपेक्षाकृत उदार गर्भपात का कानून जारी हुआ फ़िरभी आजभी हरसाल लाखों महिलायें अप्रशिक्षित चिकित्सकों के पास गर्भपात करवाती है। अमूमन ४६०० भारतीय महिलाओंकि मृत्यु गर्भपात और उससे जुडी समस्यांओंके कारण होती है। इसका मतलब हर दो घंटो में एक महिला की मृत्यू गर्भपात के कारण होती है।

इस समस्या में अनेक पहलूओंका योगदान है। प्रशिक्षित सेवा देने वालोंकी संख्या कम है । प्रशिक्षण , प्रमाणपत्र और दुसरी प्रक्रियाओं के लिये प्रशासकीय सेवा ठिक से मिल नही पाती। हमारे समाज में गर्भपात को कानूनी मान्यता है, गर्भपात के लिये सुरक्षित सेवा उपलब्ध है इस बारेंमें समाज में बहुत ही कम जागृती है ।

आजके परिस्थिती में सुरक्षित गर्भपात सेवांओंका मार्ग सशक्त करना

विविध प्रकार के कारणों के वजह से विद्यमान गर्भपात के कानून में गर्भपात करने की अनुमती दी गयी है। महिलाओंको सुरक्षित गर्भपात सेवा मिले इसलिये सर्वसमावेशक गर्भपात सेवा प्रशिक्षण और संबंधित मार्गदर्शक तत्वों का ज्यादासे ज्यादा प्रचार करना आवश्यक होता जा रहा है । सेवा प्रबंधक का प्रशिक्षित होना और हर स्तरपर सुविधा उपलब्ध होना, उपकरणों और दवाओं की उपलब्धता है इसकी पुष्टी करना। सुरक्षित गर्भपात सेवा की वैधता और उपलब्धता इनकें बारेंमें जनजागरुकता निर्माण करने हेतू उपक्रम प्रयत्न किये जाने चाहिये। एमटीपी कानून के अंतर्गत सुरक्षित गर्भपात के लिये निजी सुविधाओं के प्रमाणम हेतू जिल्हा स्तरीय कमेटी की आवश्यकता है।

कानूनन गर्भपात करनेवाले चिकित्सकों की संख्या बढाना

भारत में मूलत: 'सिर्फ़ चिकित्सकोंद्वारा ' यह गर्भपात का कानून है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ़ प्रेग्नंसी अॅगक्ट (एमटीपी) द्वारा आजकल सिर्फ़ प्रसुती विशेषज्ञ और एमबीबीएस चिकित्सक जिन्होंने आवश्यक प्रशिक्षण लिया हुआ है उन्हेंही गर्भपात सेवा देनेकी अनुमती है। कानून में सुधार लाकर गर्भपात करने वाले चिकित्सकोंकी संख्या में महत्वपूर्णरुप से बढोत्तरी लायी जा सकती है। उसमें युनानी, आयुर्वेद, और होमिओपॅथी की अहर्ता प्राप्त चिकित्सकों को भी गर्भपात सेवा देने की अनुमती दी जा सकती है। गर्भपात के लिये प्रशिक्षण प्रणाली में चिकित्सीय और शल्यक भेद करने से भी अधिकतर चिकित्सकों को योग्य प्रशिक्षण मिल सकेगा।

गर्भपात के लिये महत्तम गर्भावस्था कि सिमा को बढाना

जहां बहुत ही जरुरी गर्भसे संबधित असामान्यनता का रोग निदान किया गया है वहां एमटीपी कानून में सुधार कर देरी से गर्भपात करने की अनुमती देना जैसे की गर्भावस्था के २० वे सप्ताह के बाद। आजकल के वर्षोंमें तकनिकी और चिकित्सिय तरक्की के कारण देरी से गर्भपात करवाना कभी नही था इतना सुरक्षित हो गया है।

भारत में असुरक्षित गर्भपात की वजह से होनेवाली मौत टालने के कुछ तत्काल विकल्प है ।

एमटीपी कानून व्यापक और स्पष्ट करना

कानून के अंतर्गत परिभाषा में कुछ लघू बदलाव के साथ और एक मुद्दे के प्रति ध्यान देना आवश्यक है के एमटीपी कानून प्रक्रिया के अंतर्गत सिर्फ़ महिलाकी अनुमती आवश्यक होना स्पष्ट करना होगा। जिससें के चिकित्सकों द्वारा, महिला के पती की अनुमती की आवश्यकता की सख्ती नही रहेगी।

कानूनन गर्भपात सेवा सरलीकृत होने के लिये सुधारणा

विद्यमान कानून के अनुसार पहिले तीन मास में गर्भपात करवाने हेतू महिलाको एक चिकिस्तक से सलाह करना और दुसरे तीन मास में गर्भपात हेतू दो चिकित्सकोंसे सलाह लेना आवश्यक है। विशेष रुप से यह देहातों में रहने वाली महिला के लिये कठिण है। जहांपर चिकिस्तकोंकी बहुत ही ज्यादा कमी होती है । एमटीपी कानून में सुधार कर पहिले तीन मास और दुसरे तीन मास के गर्भपात की आवश्यकता कम करना और सुलभता लाने से महिलाओं को यह सेवा सहज उपलब्ध होगी। इसके अलावा अविवाहित महिलाओं के लिये गर्भनिरोधक उपाय हार जाने की स्थिती में गर्भपात सेवा सहज उपलब्ध होगी।

गर्भपात कानूनन वैध है और सुरक्षित सेवा उपलब्ध है इस बारेंमें समाजमें जागरुकता बढाना

सरकार से निधी-सहायता प्राप्त करकें प्रसारमाध्यमों द्वारा गर्भपात के बारेंमें जागरुकता निर्माण करना। अलावा इनकें साईनबोर्ड्स, पथनाट्य व्यक्तिगत संवाद माध्यम जिनमें आरोग्य केंद्रमें शिक्षा साधनों का वितरण और संवाद पध्दती का उअप्योग किया जा सकता है। झारखंड और मध्यप्रदेश के में किये गये अभ्यास से यह दिखाई दिया है के महिलायें और पुरुषोंमें गर्भपातकी वैधता केवल २० प्रतिशत थी और मध्यप्रदेश में १२ प्रतिशत थी। लेकिन २० सप्ताह के अंदर गर्भपात वैधता की जानकारी झारखंड में केवल ०.३ प्रतिशत थी तो मध्य प्रदेश में यह २ प्रतिशत थी। राष्ट्रीय और राज्य स्तरपर गर्भपात वैधता और उपलब्धता के बारें में सार्वजनिक जनजागृती अभियान की आवश्यकता है जिससें देशके महिला और पुरुषों का ज्ञान बढाने की जरुरत है।